प्रेस विज्ञप्ति
15.11.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स ओशन सेवन बिल्डटेक और उससे जुड़े लोगों के संबंध में चल रही जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 13/11/2025 को दिल्ली-एनसीआर में नौ स्थानों और अन्य स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के बाद, ईडी ने ओएसबीपीएल के प्रमुख व्यक्ति और प्रबंध निदेशक स्वराज सिंह यादव को कई परियोजनाओं में घर खरीदारों से एकत्रित धन के शोधन और हेराफेरी में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया।

तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने जांच से संबंधित विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य सहित 86 लाख रुपये नकद बरामद किए, जिसके अपराध की आय (पीओसी) से जुड़े होने का संदेह है।

जांच से पता चला कि स्वराज सिंह यादव ने 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के तहत परियोजनाओं में आबंटित घरों को रद्द करके एवं बढ़ी हुई कीमतों पर पुनर्विक्रय, भारी नकद प्रीमियम का संग्रह और निलंब संपत्ति (एस्क्रो) के आगम को फर्जी संस्थाओं में विपथित करके घर खरीदारों के निधियों का धोखाधड़ी से शोधन और अपयोजन (डायवर्ट) किया। पीएमएलए की धारा 17 के तहत की गई तलाशी के दौरान, 86 लाख रुपये की नकदी, जो उनके रिश्तेदार के संरक्षण में रखी गई थी और स्वराज सिंह द्वारा राजस्थान में जमीन की बिक्री से प्राप्त थी, बरामद की गई। इससे उनके द्वारा अपराध की आय (पीओसी) को सक्रिय रूप से अपने पास रखने और छिपाने की पुष्टि हुई। आगे ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि हाल के दिनों में स्वराज सिंह द्वारा गुड़गांव, महाराष्ट्र और राजस्थान में व्यक्तिगत और कंपनी की संपत्तियों को तेजी से बेचा गया, ताकि अवैध लाभ को आसानी से नकद में बदला जा सके। उनकी पत्नी और बच्चे अमेरिका चले गए हैं, और इस तरह की त्वरित बिक्री से स्पष्ट है कि वे सम्पत्तियों को गबन करने और कानूनी कार्रवाई से बचने का प्रयास कर रहे हैं। ईडी की जाँच में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत फ्लैटों के आवंटन को झूठे बहाने से रद्द करके और पूर्व में लिए पैसों को वापस किए बिना उन्हीं घरों को ऊँची कीमतों पर बेचकर, दोहरी आय अर्जित करके अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न करने वाली एक कार्य-प्रणाली का भी खुलासा हुआ है। उन्होंने इस तरह के पुनर्विक्रय में बैंकिंग चैनलों के माध्यम से प्राप्त धन के अलावा नकद आधारित प्रीमियम संग्रह को भी नियंत्रित किया। पार्किंग क्षेत्रों की बिक्री में भी इसी तरह की नकदी-चालित प्रणाली का पालन किया गया था, जहां कंपनी के बैंक के माध्यम से केवल मामूली राशि ही हस्तांतरित (रूट) की गई थी और शेष प्रीमियम उनके निर्देशों के अनुसार नकद में लिया गया था। ये कार्रवाइयां निलंब संपत्ति (एस्क्रो फंड) के दुरुपयोग और अन्य उल्लंघनों की एक बड़ी जांच का हिस्सा हैं, जिनका उल्लेख कई विधेय अपराधों के लिए दर्ज प्राथमिकी में किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए मध्यरात्रि में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-06, न्यायालय, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही 14.11.2025 को सुबह 2.25 बजे शुरू हुई और आरोपी को पर्याप्त कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए पास ओवर की अनुमति दी गई। ईडी ने माननीय न्यायालय के समक्ष विस्तार से अपनी दलीलें पेश की और बचाव पक्ष को भी सुनवाई का पूरा अवसर दिया गया, जिसका समापन सुबह 6.10 बजे रिमांड आदेश के साथ हुआ। माननीय न्यायाधीश ने पर्याप्त समय देने के बाद दोनों पक्षों की धैर्यपूर्वक और निष्पक्ष सुनवाई की। मामले के तथ्यों और प्रस्तुत निवेदनों पर विचार करने के बाद, माननीय न्यायालय ने आरोपी को 28.11.2025 तक 14 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया और उन्हें उक्त तिथि को दोपहर 2:00 बजे संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने का आदेश दिया।

ईडी, ओएसबीपीएल और उसके प्रमोटरों के धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों से उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) की पहचान करने और घर खरीदारों के धन के अपयोजन(डायवर्ट)का पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रवर्तन निदेशालय, ऐसे अपराध के आगम (पीओसी) से अर्जित संपत्तियों की पहचान करने, उनपर रोक लगाने (फ्रीज़ करने) और कुर्की द्वारा वसूली करने के लिए कदम उठा रहा है, जिसका उद्देश्य सही खरीदारों को उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से धन(फंड्स) वापस करना है।

आगे की जांच जारी है।